5.3.2018

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

31/2012 सरदारा – भागीरथ

पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत ।

सक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट संख्या-1 से 7 ने अदालत मातहत में दावा बंटवारा, हक अधिकार खातेदार उद्घोषणा, रेकार्ड दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश कर निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं0-1 से 14 की संयुक्त अविभाजित पैत्रिक कृषि भूमि ग्राम श्यामगढ़ में आराजी नये ख0नं0 560 रकबा 0.72 हैक्टर, ख0नं0 561 रकबा 0.24 हैक्टर, ख0नं0 562 रकबा 0.28 हैक्टर, ख0नं0 563 रकबा 0.41 हैक्टर, ख0नं0 565 रकबा 0.32 हैक्टर ख0नं0 566 रकबा 0.32 हैक्टर ख0नं0 571 रकबा 0.79 हैक्टर कुल किता-7 रकबा 3.08 हैक्टर जिनके पुराने ख0नं0 201, 202 व 203 है। वादीगण एवं प्रतिवादी सं0-1 से 14 बींजा के वारिस है। बींजा के दो पुत्र परता व नन्दा उर्फ दीपा हुये । जिनके वारिस वादीगण एवं प्रतिवादी सं0-1 से 14 हैं ।परता व नन्दा का उक्त आराजी में 1/2, 1/2 हिस्सा रहा है जो जमाबन्दी एव खसरा गिरदावरियों में सम्वत 2011 से 2014 में बदस्तूर दर्ज रहा है । सम्वत 2026 से 2030 में परता पुत्र बींजा जो परिवार में कर्ता खानदान था राजस्व कर्मचारियों ने उक्त आराजी की खातेदारी परता के नाम दर्ज कर दी । जबकि वादीगण उक्त आराजी पर अपने पूर्वज मूंगला पुत्र ~~खख~~ नन्दा उर्फ दीपा पुत्र बींजा नाम से संम्वत 2011 से 2025 तक राजस्व रेकार्ड में हिस्सा 1/2 दर्ज है पर काबिज है ~~ख0नं0~~खसरा गिरदावरी सं0-2011 से 2031 तक कब्जा काश्त है किन्तु राजस्व कर्मचारियों ने उक्त आराजी को परता पुत्र बींजा के नाम गलत दर्ज कर दिया । जिसको दुरूस्त कराने के लिये प्रतिवादीगण को कहा तो उन्होने मना कर दिया जिस पर यह दावा पेश किया । जिसे अदालत मातहत ने प्राथमिक रूप से

दिनांक	आज्ञा पत्र
	असदेश दिये जिससे क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है । योग्य अदालत मातहत ने अपना निर्णय विधिक प्रक्रिया बिना अपनाये पारित किया है जिसमें विवादित आराजी श्यामगढ में स्थित है जबकि अदालत मातहत ने श्यामपुरा की आराजी का विभाजन प्रस्ताव मंगवाया है ।दिनांक ।।-8-2011 को प्रतिवादी सं0-12 से 14 के नोटिस अखबार में जारी करने के आदेश दिये गये तथा आगामी पेशी दिनांक 27-9-2011 दी गई । इस पर आदेश की पालना में कोई नोटिस अखबार में छाया नहीं कर बिना तामिल प्रक्रिया पूर्ण हुये ही बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये अपना आदेश पारित किया है ।अपीलान्ट को विभाजन प्रस्ताव की भी कोई सूचना नहीं दी तथा विभाजन प्रस्ताव मौके के विपरित तैयार किये गये हैं ।अपीलान्ट को अधीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक ।-।-2012 को हुई जिस पर यह अपील जानकारी से अन्दर मियाद पेश की है । अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय एवं डिक्री निरस्त की जावें । अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोन्डन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई । बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई ।

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

बहस बगौर समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । आदेशिका दिनांक 11-8-11 में प्रतिवादी सं0-12 से 14 की तलबी जरिये अखबार में कराये जाने के आदेश दिये गये। किन्तु अदालत मातहत ने प्रतिवादी सं0-12 से 14 की तलबी हुई अथवा नहीं आदेशिका में कोई आदेश नहीं किया। अर्थात प्रतिवादी सं0-12 से 14 की तलबी अखबार में जारी नही की तथा पत्रावली बहस के स्टेज पर आई ही नही जबकि कानूनन तामिल होने के बाद जबाब दावा आने पर तनकीयात कायम कर साक्ष्य सबूत लेकर विधिनुसार आदेश पारित किया जाना चाहिये था

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

दिनांक	आज्ञा पत्र	
	किन्तु अदालत मातहत ने बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये अपना आदेश पारित किया है जिसमें विवादित भूमि ग्राम श्यामगढ की है और प्राथमिक डिक्री में श्यामपुरा की आराजी के विभाजन प्रस्ताव से मंगवाये हैं । इस प्रकार अदालत मातहत ने अपना आदेश बिना विधिक प्रक्रिया पूर्ण किये ही आदेश पारित किया है जिसे यथवत रखा जाना उचित नहीं मानते । अतः अपीलान्ट की अपील अन्दर मियाद शुमार कर अपील स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी सीकर का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27-9-2011 खारिज किया जाता है तथा प्रकरण अदालत मातहत को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वह प्रकरण मे विधिक प्रक्रिया पूर्ण करते हुये पक्षकारों को साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर देते हुये अपना निर्णय पुनः पारित करें । पक्षकार अदालत मातहत में दिनांक 26-3-2018 को उपस्थित होवें । निर्णय सुनाया गया । 5/3/18 (भंवरलाल मेहरडा) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	